

## संतकबीरनगर पुलिस द्वारा किए गये सराहनीय कार्यों का विवरण

### दुष्कर्म व मारपीट करने के मामले में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

थाना बखिरा पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 337 / 2020 धारा 376 / 323 / 504 / 506 भादवि मे वांछित अभियुक्त नाम पता अफसर हुसैन पुत्र अख्तर हुसैन निवासी दुर्गजोत थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया ।

विदित हो कि उक्त अभियुक्त द्वारा दिनांक 14.08.2020 को वादिनी को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म किया गया तथा वादिनी द्वारा शादी करने के लिए कहने पर मारपीट, गाली-गलौज व जान से मारने की धमकी दी गयी थी जिसके संबंध मे वादिनी द्वारा दिनांक 04.09.2020 को थाना बखिरा पर अभियोग पंजीकृत कराया गया था । जिसमे आज दिनांक को थाना बखिरा पुलिस द्वारा तत्परता दिखाते हुए उक्त आरोपी अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया ।

### आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत 10 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद, 01 अभियुक्त गिरफ्तार

थाना धनघटा पुलिस द्वारा 10 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ अभियुक्त नाम पता राम ईश्वर पुत्र सबरू प्रसाद निवासी गायघाट थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर थाना धनघटा पर मु0अ0सं0 545 / 2020 धारा 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया ।

## पीआरवी आफ द डे

### पीआरवी 1484 द्वारा द्वारा दो पक्षों में विवाद को कराया गया शान्त – पीआरवी 1484 को

थाना धनघटा क्षेत्रान्तर्गत इवेन्ट संख्या 02432 से कालर बजरंगी नें एक व्यक्ति द्वारा किसी व्यक्ति द्वारा महिला के साथ छेड़खानी करने के संबन्ध में सूचना दिया । सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा तत्काल 05 मिनट में घटनास्थल पर पहुंचा गया तो छेड़खानी को लेकर दो पक्षों में विवाद हो रहा था, विवाद को शान्त कराकर प्रतिवादी को विधिक कार्यवाही हेतु ताना धनघटा को सुपुर्द किया गया । पीआरवी कर्मियों की सतर्कता एवं सूझबूझ से घटना स्थल पर समय से पहुंचकर विवाद को शांत कराकर एक बड़ी घटना घटित होने से बचा लिया गया, जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गई ।

पीआरवी स्टाफ – मु0आ0 जगदीश शरण, आरक्षी जयप्रकाश कुशवाहा, आ0चा0 राजीव सोनकर ।

### शान्ति भंग (151/107/116 सीआरपीसी) मे 15 अभियुक्त गिरफ्तार

- थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा 151/107/116 सीआरपीसी में 02 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया ।
- थाना दुधारा पुलिस द्वारा 151/107/116 सीआरपीसी में 05 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया ।
- थाना महुली पुलिस द्वारा 151/107/116 सीआरपीसी में 02 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया ।

- थाना मेहदावल पुलिस द्वारा 151/107/116 सीआरपीसी में 06 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया ।

**मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 58 वाहनो से 51500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया**  
आज दिनांक 06-09-2020 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 58 वाहनो से 51500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया ।